कार्यालय नगर परिषद् उदयपुर (राज.)

बैठक संख्याः— 11

दिनांकः— 21.12.2011
वार :— बुधवार
समयः— सुबह— 12.30 बजे

अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक की कार्यवाही का विवरण।

आज दिनांक 21.12.2011 प्रातः 12.30 बजे समिति की बैठक समिति अध्यक्षा श्रीमति रजनी डांगी की अध्यक्षता में आरंभ हुई जिसमें निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुएः—

1.	श्री महेन्द्र सिंह शेखावत	उपसभापति एवं सदस्य
2.	श्री फूल सिंह मीणा	सदस्य
3.	श्री राजेश जैन	सदस्य
4.	श्री महोम्मद खलील	सदस्य
5.	श्रीमति अर्चना शर्मा	सदस्य
6.	श्री दिनेश कोठारी	आयुक्त एवं सदस्य सचिव
7.	श्री राजेश वर्मा	उपनगर नियोजक
8.	श्री सर्मथ बाबेल	सहायक अभियंता
9.	श्री चतर सिंह	सहायक अभियंता
10..	श्री करीमुद्धीन	सर्वेयर
11.	श्री सिराजुद्धीन	सर्वेयर

सर्वप्रथम समिति अध्यक्षा श्रीमती रजनी डांगी द्वारा सभी सदस्यों का स्वागत किया ओर दिनांक 17.11.2011 की बैठक संख्या 10 की पुष्टि की गई। इसके पश्चात् बैठक की कार्यवाही एजेण्डा अनुसार आंरभ की गई।

अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक में/नियमन/नामान्तरण /लीज डीड के संबंधी पत्रावलियों पर विचार विमर्श किया व समिति द्वारा बैठक से पूर्व स्थल निरीक्षण किये गये तथा मौके पर विस्तृत रूप से विचार विमर्श किया गया। परिषद के आयुक्त एवं सदस्य सचिव द्वारा नियमन, नामांनतरण, लीज डीड विचाराधिन पत्रावलियों को समिति के समक्ष रख कर विस्तृत जानकारी दी गई। समिति में उपनगर नियोजक व सहायक अभियंता एवं दोनो सर्वेयर उपस्थित थे जिनके साथ समिति के सदस्यों द्वारा भी मौका देखा जाने पर तकनीकी राय से भी अवगत कराया। समिति द्वारा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निम्नलिखित पत्रावलियों पर निम्नानुसार निर्णय लिये गयेः—

अपराधो का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 21.12.2011 का कार्यवाही विवरण

क्रम संख्या	फाईल नं. पता	नाम	विवरण	समिति निर्णय
1.	भ.अ. /128/11–12 8 F, शिवाजी नगर, उदियापोल अन्दर, क्षैत्रफल 1470′–0′′ वर्ग फीट	श्री रोहिताश्व शर्मा पिता पीताम्बर शर्मा	प्रकरण शिवाजी नगर भूखंड संख्या 8 के पारिवारिक समझौते अनुसार स्वयं विभाजन कर भूखंड संख्या एफ पर प्रार्थी द्वारा जिसका नाप पारिवारिक समझौता अनुसार 35× 42 = 1470 वर्ग फीट पर प्रार्थी भूतल + प्रथम तल निर्माण करना चाहता है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 9.11.2011 को प्रस्तुत किया। जिसमें प्रार्थी द्वारा स्वीकृति पूर्व ही निर्माण कार्य भूतल, स्ट्रक्चर बना लिया।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। मौके पर प्रार्थी द्वारा दरमयान कार्यवाही भूतल स्ट्रक्चर बना लिया। उक्त प्रकरण भूखंड संख्या 8 शिवाजी नगर पर आपसी पारिवारिक बंटवारे अनुसार विभाजन कर लिया है। अतः समिति द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि सर्वप्रथम उक्त भूखंड के उपविभाजन शुल्क वसूल किया जावे एवं बाद वसूली भूतल पर किये गये अनाधिकृत निर्माण पर आगामी बैठक में निर्णय लिया जावे।
2.	भ.अ/80/09–10 88, चेटक मार्ग, आकाशदीप के पास हाथीपोल चौगान मार्ग स्कीम, उदयपुर क्षैत्रफल 2127′–0′′ वर्ग फीट	श्री नरेन्द्र कुमार डामर एच यू एफ पिता श्री भंवर लाल डामर	मौका देखा मौके पर प्रार्थी का भूतल एवं प्रथम तल पर पंजाब नेशनल बैंक चल रहा है एवं भवनों के बीच 20′–0′′ के स्थान पर 15′–0′′ सेट बेक छोड रखा है जिससे प्रार्थी ने 2′–6′′ पेसेज को भवन में शामिल मिला दिया गया है। प्रार्थी को पूर्व में दिनांक 21.9.71 कों बीच में 20′–0′′ चौडा पेसेज छोडते हुए भूतल में दुकान व मेजनेन एवं प्रथम तल आवासीय भवन की स्वीकृति दी गई थी। प्रार्थी का भवन का भू उपयोग परिवर्तन नहीं हुआ है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी ने मौके पर भूतल एवं प्रथम तल में पंजाब नेशनल बैंक चला रखा है। जिसका पूर्व में भू उपयोग परिवर्तन नहीं कराया गया है। अतः सर्वप्रथम प्रार्थी को भू उपयोग परिवर्तन कराने हेतू सूचित किया जावे।

अपराधो का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 21.12.2011 का कार्यवाही विवरण

क्रम संख्या	फाईल नं. पता	नाम	विवरण	समिति निर्णय
3.	भ.अ / 138 / 09–10 भूखंड संख्या 15, भिखारी नाथ जी का मठ, रेजीडेंसी के पास, उदयपुर क्षैत्रफल 4010′–0′′ वर्ग फीट	मैसर्स गणपति प्लाजा पार्टनर – श्री मोहन माखीजा एवं सुरेश कुमार माखीजा	मौका देखा गया मौके पर प्रार्थी ने संपूर्ण सेट बेक को शामिल मिलाते हुए निर्माण किया एवं अतिरिक्त भूमि पर भी निर्माण किया गया एवं निकासू भी बना रखा है मौके पर भूतल में कुछ हिस्से मे दुकाने बनी हुई है। जिसमें वाणिज्यिक गतिविधियां चल रही है एवं प्रथम व द्वितिय तल में आर सी सी का ढांचा बना रखा है। उक्त भूखंड पर पूर्व में परिषद् द्वारा भ.अ / 74 / 2006–2007 के तहत तलघर में पार्किंग व भूतल + दो मंजिल निर्माण की स्वीकृति जिसमें 12′–0′′ सामनें व साईड व पीछे 5′–0′′ – 5′–0′′ सेट बेक छोडते हुए दी गई थी। भूखंड का क्षैत्रफल 4010 वर्ग फीट है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि मौके पर तलघर भूतल + दो मंजिल स्ट्रक्चर बना लिया है। जिस पर वक्त बैठक समिति द्वारा सहायक अभियंता श्री एस. एस बाबेल को दिये गये आदेश के तहत मौके का सर्वे कर नक्शा प्रस्तुत किया। जिसके अनुसारं 3263 वर्ग फीट क्षैत्रफल पर निर्माण पाया गया। जिसमें कि प्रोजेक्शन शामिल नहीं है। प्रोजेक्शन सहित कुल छत का क्षैत्रफल 4238 वर्ग फीट होना दर्शाया गया। अतः प्रार्थी के भूखंड के मूल क्षैत्रफल 4010 वर्ग फीट से अतिरिक्त क्षैत्र में प्रोजेक्शन हटाकर फोटो प्रस्तुत करने पर शेष सेट बेक में यहां कि वाणिज्यिक आरक्षित दर से वसूल करते हुए तथा पार्किंग की कमी के 50000 / – रूपये प्रति कार यूनिट से वसूल किये जाकर नियमन किया जाने का निर्णय लिया गया।

अपराधो का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 21.12.2011 का कार्यवाही विवरण

क्रम संख्या	फाईल नं. पता	नाम	विवरण	समिति निर्णय
4.	भ.अ / 21 / 11–12 भोईवाडा, सिमेंट रोड, उदयपुर क्षैत्रफल 401′–0′′ वर्ग फीट	श्री इन्द्र लाल खलुडिया पिता स्व. माणक चन्द्र एवं श्रीमति हेमलता देवी पति इन्द्र लाल	प्रार्थी को पूर्व में नगर परिषद् द्वारा दिनांक 7.6. 2011 को भूतल + दो मंजिल बिना निकासू के आवासीय भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई थी। प्रार्थी ने स्वीकृति के विरूद्ध मौके पर भूतल + चार मंजिल मय निकासु के भवन बनाया गया है। सामने की तरफ मात्र 14′–0′′ चौडी सडक स्थित है। स्वीकृति के विरूद्ध निर्माण नगर परिषद् द्वारा सीज किया हुआ है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी का भवन नगर परिषद् द्वारा सीज किया हुआ है प्रार्थी उक्त भवन को नियमन कराना चाहता है। प्रकरण पर आगामी बैठक में निर्णय किया जावे।
5.	भ.अ / 183 / 08–09 25 ए –सी, न्यू फतहपुरा उदयपुर वार्ड नं. 32 क्षैत्रफल 10800′–0′′ वर्ग फीट	अब्बास अली पिता सैफुद्दीन जी	मौके पर प्रार्थी ने बिना स्वीकृति के सेट बेक को शामिल मिलाते हुए बेसमेंट एवं स्टील्ड पार्किंग भूतल में हॉल एवं प्रथम,द्वितिय,तृतीय, चतुर्थ एवं पांचवी मंजिल का निर्माण सेट बेक को शामिल मिलाते हुए किया गया है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त स्थल का सात दिवस में मौका देख तकनिकी रिपोर्ट नियमन बाबत प्रस्तुत होने पर प्रकरण आगामी बैठक में रखा जावे।

अपराधो का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 21.12.2011 का कार्यवाही विवरण

क्रम संख्या	फाईल नं. पता	नाम	विवरण	समिति निर्णय
6.	भ.अ/44/10–11 14, आदेश्वर कोलोनी बोहरवाडी, उदयपुर क्षैत्रफल 468′–0′′ वर्ग फीट	श्री कांति लाल जैन पिता स्व. कन्हैया लाल जी जैन	मौका देखा मौके पर प्रार्थी का भूतल एवं प्रथम तल बना हुआ है एवं रास्ते की ओर 2′–6′′ निकासु बना रखा है। प्रार्थी को पूर्व में नगर परिषद् द्वारा भूतल एवं प्रथम तल बिना निकासु के आवासीय भवन की स्वीकृति दी गई थी। प्रार्थी ने स्वीकृति के विरूद्ध पूर्व एवं दक्षिणी तरफ 2′–6′′ निकासु बना रखा है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी ने जो स्वीकृति के विरूद्ध रास्ते की ओर पूर्व एवं दक्षिणी तरफ 2′–6′′ निकासु बनाया गया है उसकी शास्ती आवासीय बाजार दर की 20 प्रतिशत से राशि वसूल करते हुए नियमन किया जावे।
7.	भ.अ/61/09–10 1,1 ई, 1 एफ, अशोकनगर, उदयपुर क्षैत्रफल 735′–25′′ वर्ग फीट	श्री राजेन्द्र कुमार, प्रभु लाल , मोहन लाल, दाखी बाई कुम्हार	प्रार्थी को दिनांक 5.8.2008 को भूखंड संख्या 1, 1 ई, 1 एफ पर अलग – अलग स्वीकृतियां जारी की गई थी। प्रार्थी ने स्वीकृति के विरूद्ध सेट बेक में निर्माण किया एवं तीनों भूखंडों को शामिल मिला लिया गया जिस पर प्रार्थी ने नियमन हेतू पत्रावली लगाई गई जिस पर प्रार्थी के प्रकरण को भवन अनुमति समिति की बैठक दिनांक 24.7.09 में रखा गया एवं समिति द्वारा नियमन करने का निर्णय लिया गया एवं प्रशासनिक समिति में अनुमोदन हेतू लिखा गया एवं प्रार्थी को 22,26,262/– रूपये का नोटिस भी दिया गया परंतु प्रार्थी के पडोसी श्री भोला राम की बार बार उजरदारी प्रस्तुत हो रही थी जिसे सूनवाई हेतू बुलाया गया था।	प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिती द्वारा स्थल निरिक्षण किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियो कर्मचारियो से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि उजरदार को बुलाया गया एवं सुना गया उजरदार ने प्रकरण में नियमन किये जाने पर घोर आपत्ति दर्ज की गई है एवं भविष्य में व्यवसायिक गतिविधियां होने का अंदेशा है। तथा प्रार्थी ने नगर परिषद् के विरूद्ध न्यायालय में वाद दायर किया हुआ है। अतः प्रकरण में वाद की नवीनतम स्थिति की रिपोर्ट विधी शाखा से लेते हुए एवं वर्तमान मौका रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण आगामी बैठक में रखा जावे।

अपराधो का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 21.12.2011 का कार्यवाही विवरण

क्रम संख्या	फाईल नं. पता	नाम	विवरण	समिति निर्णय
8.	भ.अ / 35 / 11–12 53, सर्वऋतु विलास, उदयपुर क्षैत्रफल 5987′–0′′ वर्ग फीट	श्री मनीष अग्रवाल पिता प्यारे लाल अग्रवाल एवं सरीता पति मनीष अग्रवाल	मौके पर उक्त भूखंड में छत लेवल तक निर्माण कर लिया है। जिसमें यहां के मूल सेट बेक में विचलन किया गया है। दक्षिणी ओर योजना के तहत नाला भूमि बता रखी है। जबकि नाले का कोई असतित्व नहीं दिखाई दे रहा है। पडोसियों द्वारा भी उक्त भूमि पर (नाले भूमि) पर कब्जा किया गया है। प्रार्थी द्वारा किये गये निर्माण का नियमन कराने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी द्वारा नाले की भूमि को छोडकर ईंटो की चुनाई कर दीवार बनाई जिसका फोटो भी प्रस्तुत किया गया है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि नालें की भूमि को स्वतंत्र रखे वं दीवार (बाउण्ड्री वाल)पुरी पक्की 4.6 फीट ऊँचाई तक बनावे तथा बाहर सडक की ओर नाली का निर्माण भी करावे बाद निर्माण प्रार्थी से शपथ पत्र लिया जावे कि नाले की भूमि को भविष्य में भवन में शामिल नहीं करेंगे। इसके पश्चात् नियमन किया जावे।
9.	भ.अ / 196 / 07–08 40,प्रेमी द्वारा मार्ग, अमंल का कांटा, उदयपुर क्षैत्रफल 989′–825′′ वर्ग फीट	श्री विष्णु शंकर टांक पिता उदयलाल जी टांक	मौके पर उक्त स्थल पर पूर्व में दी गई भवन निर्माण स्वीकृति के अतिरिक्त निकासु रचना बंद गोखडा बना लिया है। कम ऊँचाई पर नाल की लेण्डिंग एवं छज्जे बनाये है। भूतल में शटर लगा व्यवसायिक निर्माण किया गया है। प्रार्थी किये गये निर्माण को नियमन कराना चाहते है। पूर्व में प्रकरण दिनांक 17. 11.2011 लिये गये निर्णय के तहत उक्त स्थल का नाप चैक किये जाने का निर्णय लिया गया था। जिस पर नाप चैक किये जाने पर सही पाया गया।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण भू उपयोग का होने से प्रार्थी को सर्वप्रथम भू उपयोग परिवर्तन कराने बाबत सूचित किया जावे।

अपराधो का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 21.12.2011 का कार्यवाही विवरण

क्रम संख्या	फाईल नं. पता	नाम	विवरण	समिति निर्णय
10.	भ.अ / 220 / 06–07 386, थामला हाउस काला जी गोरा जी उदयपुर, क्षैत्रफल 3856′–0′′ वर्ग फीट	श्री घनश्याम सिंह पिता स्व. राव रतन सिंह	मौके पर प्रार्थी ने बेसमेंट का निर्माण किया जिसमे जाने के लिए रैम्प 4′–0′′ की ऊचाई तक बना हुआ है। जिसमे पार्किंग किया जाना संभव नहीं है। भूतल + तीन मंजिल तक बंद निकासु रचना बना रखी है। भू उपयोग परिवर्तन करवाते समय भूखंड का ही उपयोग परिवर्तन कराया गया था। प्रार्थी ने व्यवसायिक स्वीकृति नहीं ली थी। पूर्व में दिनांक 26.6.2008 को भवन निर्माण अनुमति समिति द्वारा लिये गये निर्णय में अतिरिक्त मंजिलों का जो निर्माण किया उसकी आरक्षित दर से राशि ली जाने का निर्णय किया गया था। किंतु सम्बन्धित जे ई न द्वारा दी गई रिपोर्ट में उक्त क्षैत्र की आरक्षित दर न होने का जिक्र किया गया।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि पूर्व में दिनांक 26.6.2008 को लिये गये निर्णय में गणना आरक्षित दर का हवाला दिया गया था। उसकी जगह वर्तमान बाजार दर की 20 प्रतिशत से राशि वसूल की जावे तथा शेष कार्यवाही दिनांक 26.6. 2008 को लिये गये निर्णय के अनुसार की जावे।
11.	भ.अ / 103 / 08–09 तोरण बावड़ी प्लाट नं. 17 व 18 का भाग मेवाड़ मोटर्स क्षैत्रफल 6626′–0′′ वर्ग फीट	मेवाड़ मोटर्स प्रो. अरूण सुखाड़िया पिता स्व. मोहनलाल जी	प्रकरण भूखंड संख्या 17 व 18 का पार्ट तोरण बावडी क्षैत्र का होकर फस्ट, सेकण्ड व थर्ड फ्लोर का निर्माण करना प्रस्तावित किया गया था। जिसमें मौके पर भूतल + मेजनाईन भवन बना होकर प्रथम, द्वितिय, तृतीय तल का निर्माण स्ट्रक्चर बना लिया गया है। तलघर में पार्किंग बनाई जिसका रास्ता उत्तरी रास्ते की ओर रैम्प बनाया गया व रैम्प के ऊपर के निर्माण को नक्शें में नहीं दर्शाया गया है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि भूखंड का विभाजन किया गया। अतः उक्त भूखंडो के उपविभाजन शुल्क वसूल किये जावे। प्रार्थी से मौके की वर्तमान स्थिति मानचित्र का मांगा जाकर पूर्व में दी गई स्वीकृति के अलावा किये गये निर्माण की शास्ती आरक्षित दर से वसूल की जावे व निकासु रचना की शास्ती राशि आरक्षित दर की दुगुनी दर से वसूली जावे। पार्किंग की गणना कर कमी पाये जाने पर 50000 /– प्रति ई.सी.यू की दर से भी वसूल किया जावे।

अपराधो का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 21.12.2011 का कार्यवाही विवरण

क्रम संख्या	फाईल नं. पता	नाम	विवरण	समिति निर्णय
12.	भ.अ/92/11–12 मकान नं. 941 पुराना नं. 14 पाटो की मगरी,सुभाष नगर, उदयपुर	श्री जीवन सिंह बोर्दिया पिता स्व. अमर सिंह बोर्दिया	प्रार्थी को पूर्व में दिनांक 23.6.88 को नगर परिषद् द्वारा पर्व तरफ बिना सेट बेक छोडे भूतल निर्माण की स्वीकृति दी गई थी एवं भवन के सामने खुली भूमि 31′–0′′ तक छोडी हुई थी। प्रार्थी ने पूर्व स्वीकृति के विरूद्ध पश्चिमी तरफ 0 सेट बेक में कमरे, बनाये गये एवं दक्षिणी तरफ किचन आदि बनाया गया व पडोसी द्वारा आपत्ति भी प्रस्तुत की गई थी। जिसको आयुक्त महोदय द्वारा दिनांक 16.12.2011 को आपत्ति निरस्त की गई।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी ने बिना स्वीकृति के जो निर्माण किया उसकी शास्ती लागत की 5 प्रतिशत से ली जावे एवं सेट बेक में किये निर्माण की शास्ती आरक्षित दर से ली जाते हुए भूतल में किये गये निर्माण को नियमन किया जाता है।
13.	111 अशोक नगर क्षैत्रफल 2880′–0′′ वर्ग फीट	अम्बालाल पिता देवीलाल	प्रार्थी ने उक्त भू – खण्ड के नामान्तरण हेतू आवेदन किया है आपति आमंत्रण की गई। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। वर्तमान में परिषद रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड श्रीमति पन्ना देवी के नाम पर है प्रार्थी ने उक्त भूखंड वसीयत से प्राप्त किया है। भूखण्ड पर पूर्व मे भवन निर्माण स्वीकृति जारी है। सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार मौके पर स्वीकृति के विपरित सेट बेक मे निर्माण किया हुआ है। तथा बिना स्वीकृति निर्माण भी किया हुआ है। प्रार्थी द्वारा सेट बेक में किये गये निर्माण एवं बिना स्वीकृति निर्माण का नियमन कराते हुए नामान्तरण चाहा है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी ने पूर्व स्वीकृति के विरूद्ध सामने के सेट बेक साईड के सेट बेक एवं पीछे के सेट बेक में जो निर्माण किया उसकी शास्ती आरक्षित दर से ली जावे एवं सेट बेक छोडकर जो बिना स्वीकृति के निर्माण किया उसकी शास्ती लागत की 5 प्रतिशत से ली जावे एवं प्रार्थी सामने के सेट बेक में किसी तरह का वाणिज्यिक उपयोग नहीं लेवे इस बाबत शपथपत्र लिया जावे।

अपराधो का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 21.12.2011 का कार्यवाही विवरण

क्रम संख्या	फाईल नं. पता	नाम	विवरण	समिति निर्णय
14.	168, भुपालपुरा क्षैत्रफल 1760′–0′′ वर्ग फीट	रोशनलाल डांगी पिता रतनलाल	प्रार्थी ने उक्त भू – खण्ड के नामान्तरण हेतू आवेदन किया है आपति प्राप्त नहीं हुई। वर्तमान में परिषद रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड रूपनारायण एवं मोहन लाल माथुर के नाम पर है प्रार्थी ने उक्त भूखंड विक्रय विलेख से प्राप्त किया। उक्त प्रकरण में पूर्व में यू आई टी द्वारा सेट बेक छोडते हुए भूतल एवं प्रथम तल की स्वीकृति दी गई है। प्रार्थी उपविभाजन कराते हुए स्वयं के नाम पर नामान्तरण कराना चाहते है। प्रार्थी ने स्वीकृति के विरूद्ध साईड सेट बेक में 5′–0′′ के स्थान पर 3′–6′′ सेट बेक छोडा गया है एवं पीछे की तरफ 6′–3′′ सेट बेक के स्थान पर 5′–3′′ सेट बेक छोड रखा है। भूतल एवं प्रथम तल दोनों मंजिलों में सेट बेक में निर्माण कर रखा है एवं सेकण्ड फ्लोर में भी पीछे की तरफ स्टोर टॉयलेट आदि बिना स्वीकृति के सेट बेक को शामिल करते हुए निर्माण कर रखा है। प्रार्थी का प्रकरण उपविभाजन/नियमन का है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी ने पूर्व स्वीकृति के विरूद्ध भूतल प्रथम एवं द्वितिय तल में आंशिक भाग में सेट बेक में जो निर्माण किया उसकी शास्ती आरक्षित दर से ली जावे एवं द्वितिय तल में जो सेट बेक छोडकर निर्माण किया उसकी शास्ती लागत की 5 प्रतिशत से वसूल करते हुए नियमन किया जावे एवं प्रार्थी से उपविभाजन शुल्क भी वसूल किया जावे।

अपराधो का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 21.12.2011 का कार्यवाही विवरण

क्रम संख्या	फाईल नं. पता	नाम	विवरण	समिति निर्णय
15.	57, भुपालपूरा क्षैत्रफल 2400′–0′′ वर्ग फीट	सुभाषचन्द्र पाठक, कमला पत्नी स्व. ब्रजमोहन पाठक, मंजु देवी पत्नी स्व. ओमप्रकाश पाठक	प्रार्थीयों ने उक्त भूखंड/भवन के नामान्रण हेतू आवेदन किया है। आपत्ति प्राप्त हुई है। वर्तमान में परिषद् रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड श्री महेश चन्द्र पाठक के नाम पर है, प्रार्थीयों ने उक्त भूखंड/भवन वारीसान से प्राप्त किया है। प्रार्थी के प्रकरण पर उजरदारी प्रस्तुत हुई। जिस पर उजरदार एवं भवन मालिक दोनों को सुनवाई हेतू समिति के समक्ष दिनांक 25.8.2011 को सुनवाई हेतू बुलाया गया पुनः: दिनांक 21.12.2011 समिति में सुनवाई हेतू बुलवाया गया। उजरदार कैलाश चन्द्र उपस्थित हुआ ।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी के प्रकरण पर न्यायालय द्वारा स्वामित्व निर्धारित किये जाने के पश्चात् ही प्रकरण नियमन बाबत रखा जावे।
16.	83, भुपालपुरा क्षैत्रफल 2400′–0′′ वर्ग फीट	अरविन्द पिता अमर लाल अग्रवाल सन्तोष पत्नी सतीश अग्रवाल	प्रार्थीयों ने उक्त भूखंड/भवन के नामान्रण हेतू आवेदन किया है। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। वर्तमान में परिषद् रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड श्री अमरनाथ पिता भगवानदास के नाम पर है, प्रार्थीयों ने उक्त भूखंड/भवन अंतिम इच्छा पत्र से प्राप्त किया है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी ने स्वीकृति के विरूद्ध साईड सेट बेक पीछे के सेट बेक में निर्माण किया। उसकी शास्ती आरक्षित दर से लेते हुए किये गये निर्माण का नियमन किया जाता है।

अपराधो का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 21.12.2011 का कार्यवाही विवरण

क्रम संख्या	फाईल नं. पता	नाम	विवरण	समिति निर्णय
17.	401 – भूपालपुरा, उदयपुर क्षैत्रफल 3724′–0′′ वर्ग फीट	गणपत सिंह पिता सोहन लाल हिंगड	प्रार्थी ने उक्त भू – खण्ड के नामान्तरण हेतू आवेदन किया है आपति प्राप्त नहीं हुई। वर्तमान में परिषद रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड श्री सोहन लाल हिंगड के नाम पर है प्रार्थी ने उक्त भूखंड वसीयत से प्राप्त किया है। प्रार्थी के भूखंड का सबडिविजन प्रार्थी द्वारा ही किया गया है एवं पुरा भवन बिना स्वीकृति के बना रखा है व सेट बेक में भी निर्माण कर रखा है। प्रार्थी ने भूतल एवं प्रथम तल पर भी निर्माण कर रखा है व सेकण्ड फ्लोर पर भी आंशिक निर्माण कर रखा है। प्रार्थी का प्रकरण उपविभाजन / नामान्तरण का है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी ने सेट बेक को शामिल करते हुए भूतल, प्रथम तल एवं द्वितिय तल के आंशिक भाग में निर्माण कर रखा है प्रार्थी ने जो सेट बेक में निर्माण किया उसकी शास्ती आरक्षित दर से ली जावे एवं जो बिना स्वीकृति के निर्माण किया उसकी शास्ती लागत की 5 प्रतिशत से ली जावे एवं साथ ही उपविभाजन शुल्क लिया जावे।
18.	123, अशोकनगर क्षैत्रफल 2880′–0′′ वर्ग फीट	श्री सुनील कुमार चितौडा पिता स्व. मोहन लाल	प्रार्थीयों ने उक्त भूखंड / भवन के नामान्रण हेतू आवेदन किया है। आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। वर्तमान में परिषद् रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड श्री मोहन लाल चितौडा पिता केसरी मल चितौडा के नाम पर है, प्रार्थीयों ने उक्त भूखंड / भवन वसीयत से प्राप्त किया है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी ने भूतल में पूरे भवन में वाणिज्यिक गतिविधियां चला रखी है। अतः प्रार्थी के प्रकरण में भू उपयोग परिवर्तन कराने हेतू सूचित करे।

अपराधो का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 21.12.2011 का कार्यवाही विवरण

क्रम संख्या	फाईल नं. पता	नाम	विवरण	समिति निर्णय
19.	40, उदियापोल, उदयपुर क्षैत्रफल 49'–0'' वर्ग फीट	श्री संजय हासीजा पिता सुरेश कुमार	प्रार्थी ने उक्त भूखंड/भवन के नामान्रण/लीज डीड हेतू आवेदन किया है। आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। वर्तमान में परिषद् रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड श्री नरेश पिता टीकमचंद के नाम पर है, प्रार्थी ने उक्त भूखंड/भवन रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से प्राप्त किया है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि बिना स्वीकृति निर्माण की शास्ती लागत की 5 प्रतिशत से एवं निकासु रचना की राशि आरक्षित दर से लेते हुए नियमन किया जावे। सेटबेक मे नियमन किये गये क्षेत्र पर भविष्य मे किसी भी प्रकार का निर्माण नही करे। प्रार्थी से इस आशय का शपथ पत्र लिया जावे ।
20.	प्लॉट नंत्र 1350 डी, हिरण मगरी , सेक्टर नं. 4, उदयपुर क्षैत्रफल 462'–6'' वर्ग फीट	श्रीमती दुर्गा खतुरिया	प्रार्थी ने उक्त भूखंड/भवन के नामान्तरण हेतू आवेदन किया है। आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। वर्तमान में परिषद् रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड श्री संजय जैन पिता श्री सुमति लाल जैन के नाम पर है, प्रार्थी ने उक्त भूखंड/भवन रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से प्राप्त किया है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी ने फ्रंट सेट बेक में सडक पर जो निकासु निकाल रखा है उसे अपने स्तर पर हटावें तथा बिना स्वीकृति निर्माण की शास्ती लागत की 5 प्रतिशत से एवं सेट बेक में किये गये निर्माण की शास्ती आरक्षित दर से वसूल करते हुए नियमन किया जावे। सेटबेक मे नियमन किये गये क्षेत्र पर भविष्य मे किसी भी प्रकार का निर्माण नही करे। प्रार्थी से इस आशय का शपथ पत्र लिया जावे ।

अपराधो का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 21.12.2011 का कार्यवाही विवरण

क्रम संख्या	फाईल नं. पता	नाम	विवरण	समिति निर्णय
21.	316 – ए, किशनपोल, उदयपुर क्षैत्रफल 1170′–0′′ वर्ग फीट	पुरूषोत्तम हरिजन	प्रार्थी के प्रकरण पर दिनांक 25.8.11 को समिति द्वारा निर्णय लिया जा चुका था। जिसमें निर्णयानुसार राशि की गणना की गई। प्रार्थी द्वारा पीछे एवं साईड के सेट बेक में किये गये निर्माण को अपने स्तर पर हटा लिया गया तथा उक्त हटाये गये सेट बेक की राशि कम करने हेतू निवेदन किया गया। पत्रावली निर्णयार्थ रखी गई।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि पूर्व में किये गयें सेट बेक के नियमन की राशि में से हटाये गये निर्माण की राशि कम करते हुए शेष राशि वसूल करते हुए नियमन किया जावे। सेटबेक मे नियमन किये गये क्षेत्र पर भविष्य मे किसी भी प्रकार का निर्माण नही करे। प्रार्थी से इस आशय का शपथ पत्र लिया जावे ।
22.	31, हिरण मगरी, से. 11, उदयपुर क्षैत्रफल 150′–0′′ वर्ग फीट	श्रीमती विजेता शर्मा	प्रार्थी के प्रकरण पर दिनांक 25.11.2010 एवं 13.5.2011 एवं 25.8.2011 एवं 17.11.2011 को आयोजित समझौता समिति की बैठक में प्रकरण विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा मौका देखकर आगामी बैठक में रखने का निर्णय लिया गया। प्रार्थी ने मौके पर भूतल एवं प्रथम तल मय दोनों ओर निकासु रचना बना भवन में शामिल किया हुआ है। जबकि यहां सिर्फ भूतल में ही दुकानों की टाईप डिजाईन है। प्रार्थी स्वीकृति विरूद्ध निर्माण एवं निकासु रचना का नियमन कराना चाहता है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि मौका देखकर प्रकरण को आगामी बैठक में रखा जावे।

अपराधो का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 21.12.2011 का कार्यवाही विवरण

क्रम संख्या	फाईल नं. पता	नाम	विवरण	समिति निर्णय
23.	भूखंड संख्या 300 हिरण मगरी से नं. 3 क्षैत्रफल 1250'–0'' वर्ग फीट	श्रीमति मालती यादव पिता बिन्देश्वरी प्रसाद एवं चिराग यादव पिता अमरजीत यादव	प्रार्थी ने उक्त भूखंड/भवन के नामान्तरण/लीज डीड हेतू आवेदन किया है। आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। वर्तमान में परिषद् रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड इब्राहिम पिता गुलाम हुसैन के नाम पर है, प्रार्थी ने उक्त भूखंड/भवन रजिस्टर्ड विक्रय पत्र एवं वसीयत से प्राप्त किया है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी द्वारा सेट बेक में किये गये निर्माण की शास्ती आरक्षित दर से एवं बिना स्वीकृति निर्माण की शास्ती लागत की 5 प्रतिशत से वसूल करते हुए नियमन किया जावे।

उक्त प्रकरणों में मांग की जाने वाली नियमन राशि इस कार्यालय द्वारा मांग पत्र जारी होने के 15 दिन में अनिवार्यतः जमा करानी होगी। अन्यथा प्रकरण निरस्त योग्य होंगे। नियत समयावधि में राशि जमा नहीं कराने वाले प्रकरणों को निर्णयार्थ आगामी समझौता समिति में रखा जावेगा।

आयुक्त
नगर परिषद, उदयपुर

अध्यक्ष
अपराधो का शमन एवं समझौता समिति

क्रमांकः– नपउ/भ.वि/11–12/
दिनांकः–

प्रतिलिपि सूचनार्थ :–

1. श्रीमान् निदेशक महोदय, स्थानीय निकाय विभाग , राज. जयपुर ।
2 श्रीमान् उप निदेशक महोदय, (क्षैत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग , राज. उदयपुर ।
3. श्रीमान् जिला कलक्टर, उदयुपर।
4. श्रीमान् सभापति /समिति अध्यक्ष महोदय, नगर परिषद्, उदयपुर।
5. श्री/श्रीमति...समिति सदस्य।
6. सचिव नगर परिषद्, उदयपुर।
7. उप नगर नियोजक, नगर परिषद्, उदयपुर।
8. ....शाखा प्रभारी।
9. निजी सहायक आयुक्त नगर परिषद्, उदयपुर।

आयुक्त
नगर परिषद्, उदयपुर

अपराधो का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 21.12.2011 का कार्यवाही विवरण

भ.अ / 21 / 11–12 भोईवाडा, सिमेंट रोड, उदयपुर क्षैत्रफल 401′–0′′ वर्ग फीट	श्री इन्द्र लाल खलुडिया पिता स्व. माणक चन्द्र एवं श्रीमति हेमलता देवी पति इन्द्र लाल	प्रार्थी को पूर्व में नगर परिषद् द्वारा दिनांक 7.6.2011 को भूतल + दो मंजिल बिना निकासू के आवासीय भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई थी। प्रार्थी ने स्वीकृति के विरूद्ध मौके पर भूतल + चार मंजिल मय निकासु के भवन बनाया गया है। सामने की तरफ मात्र 14′–0′′ चौडी सडक स्थित है। स्वीकृति के विरूद्ध निर्माण नगर परिषद् द्वारा सीज किया हुआ है।
भ.अ / 183 / 08–09 25 ए –सी, न्यू फतहपुरा उदयपुर वार्ड नं. 32 क्षैत्रफल 10800′–0′′ वर्ग फीट	अब्बास अली पिता सैफुद्दीन जी	मौके पर प्रार्थी ने बिना स्वीकृति के सेट बेक को शामिल मिलाते हुए बेसमेंट एवं स्टील्ड पार्किंग भूतल में हॉल एवं प्रथम,द्वितिय,तृतीय, चतुर्थ एवं पांचवी मंजिल का निर्माण सेट बेक को शामिल मिलाते हुए किया गया है।

अपराधो का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 21.12.2011 का कार्यवाही विवरण

अपराधो का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 21.12.2011 का कार्यवाही विवरण

अपराधो का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 21.12.2011 का कार्यवाही विवरण

अपराधो का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 21.12.2011 का कार्यवाही विवरण

अपराधो का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 21.12.2011 का कार्यवाही विवरण

57, भुपालपूरा क्षैत्रफल 2400′–0″ वर्ग फीट	सुभाषचन्द्र पाठक, कमला पत्नी स्व. ब्रजमोहन पाठक, मंजु देवी पत्नी स्व. ओमप्रकाश पाठक	प्रार्थीयों ने उक्त भूखंड/भवन के नामान्रण हेतू आवेदन किया है। आपत्ति प्राप्त हुई है। वर्तमान में परिषद् रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड श्री महेश चन्द्र पाठक के नाम पर है, प्रार्थीयों ने उक्त भूखंड/भवन वारीसान से प्राप्त किया है। प्रार्थी के प्रकरण पर उजरदारी प्रस्तुत हुई। जिस पर उजरदार एवं भवन मालिक दोनों को सुनवाई हेतू समिति के समक्ष दिनांक 25.8.2011 को सुनवाई हेतू बुलाया गया पुनः: दिनांक 21.12.2011 समिति में सुनवाई हेतू बुलवाया गया। उजरदार कैलाश चन्द्र उपस्थित हुआ ।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी के प्रकरण पर न्यायालय द्वारा स्वामित्व निर्धारित किये जाने के पश्चात् ही प्रकरण नियमन बाबत रखा जावे। पर आयुक्त महोदय को सुनवाई हेतू पत्रावली भिजवाई जावे।

अपराधो का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 21.12.2011 का कार्यवाही विवरण

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि बिना स्वीकृति प्रथम तल पर किये गये निर्माण की शास्ती आरक्षित दर से एवं बंद निकासु की शास्ती आरक्षित दर की दुगुनी राशि से वसूल करते हुए नियमन किया जावे एवं प्रार्थी से इस आशय का शपथ पत्र लिया जावे कि भविष्य में इसके ऊपर कोई निर्माण नहीं करेंगा। सेटबेक मे नियमन किये गये क्षेत्र पर भविष्य मे किसी भी प्रकार का निर्माण नही करे। प्रार्थी से इस आशय का शपथ पत्र लिया जावे ।